

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
दिव्य दृष्टि आई सेंटर,  
मंगल मार्केट, शेखपुरा,  
पटना 800014 ।

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.2.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पनमा देवी पति-स्व० जामुन राय ग्राम-उसरी पो०-शिकारपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना	नेत्र रोग	₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) स्वीकृत।
2	मजरून खातुन पति-मो० इलीयास हुसैन ग्राम-न्यु मिल्तत कालोनी पो०-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारी जिला-पटना	नेत्र रोग	₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 30,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....~~509177~~ 509177  
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुपयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 239 (14)

पटना, दिनांक - 22-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को /  
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.8.16